The Academic Matrix International Journal
ISSN: 3140-0523 (Online)
© The Academic Matrix |Volume-01| Issue-02| September- 2026
Available online at: https://academicmatrix.com/
DOI: https://doi.org/10.68677/amij.v1i2.05

लद्दाख की स्वतंत्रता एवं केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के पश्चात् छठी अनुसूची की मांग

शुभी शुक्ला
सहायक प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान विभाग
मदनमोहन मालवीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय कालाकांकर प्रतापगढ़
Email – s.shubheeshukla@gmail.com

सारांश –

लद्दाख की स्वतंत्रता के पश्चात् लद्दाख के स्थानीय जनजातियों ने छठी अनुसूची की मांग जो वर्तमान भारतीय राजनीति तथा संविधान की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2019 में लद्दाख को जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया जिसके पश्चात् क्षेत्र में संविधान के छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष स्वतंत्रता की मांग उठी जो वर्तमान राजनीति के विचार विमर्श का केंद्र बन चुका है। लद्दाख के क्षेत्रीय जनजातियों की मांग है कि छठी अनुसूची द्वारा उनकी संस्कृतिक पहचान जनजातीय अधिकार और भूमि एवं प्रकृति की सुरक्षा हो सकती है। परन्तु यहां सवाल मात्र उनकी संस्कृतिक पहचान की नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता केंद्र राज्य संबंध तथा लोकतांत्रिक संतुलन जुडी है अतः यह शोध पत्र इस प्रश्न के अध्ययन पर बल देगा कि क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में रखना भारतीय संघवाद और भारतीय एकता के दृष्टिकोण से उचित होगा? इस शोध पत्र के अंतर्गत हम लद्दाख की प्रशासनिक पृष्ठभूमि, छठी अनुसूची की मांग का वास्तविक कारण राष्ट्रीय एकता और क्षत्रीय स्वायत्तता के मध्य संतुलन का अध्ययन करेंगे। अध्ययन का निष्कर्ष है कि लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को केवल प्रशासनिक अधिकारों की मांग के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, लोकतांत्रिक भागीदारी, भूमि एवं संसाधनों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की व्यापक अभिव्यक्ति के रूप में समझना चाहिए। इसका समाधान व्यापक परामर्श, स्थानीय समुदायों की प्रभावी भागीदारी और केंद्र तथा स्थानीय संस्थाओं के बीच स्पष्ट अधिकार-विभाजन के आधार पर किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। ऐसी संतुलित व्यवस्था लद्दाख की विशिष्ट पहचान और स्थानीय हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर सकती है।

महत्त्वपूर्ण शब्द- हम इस शोध पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे – क्षत्रीय स्वायत्तता, संघवाद, छठी अनुसूची, जनजातियों एवं उनकी संस्कृतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र।

प्रस्तावना (Introduction)

लद्दाख भारत का एक सामरिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हिमालयी क्षेत्र है, जिसकी विशिष्ट जनजातीय संरचना, परंपरागत जीवन-पद्धति तथा प्राकृतिक संसाधन इसे विशेष पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधताओं और राष्ट्रीय एकता के मध्य

संतुलन स्थापित करना सदैव एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक चुनौती रही है। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से पृथक करके बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रशासनिक परिवर्तन के पश्चात् स्थानीय समुदायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर चिंताएँ बढ़ीं। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष संवैधानिक संरक्षण एवं स्थानीय स्वायत्तता की मांग प्रमुखता से उभरी। इस मांग का उद्देश्य केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनजातीय हितों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा क्षेत्रीय विकास में स्थानीय समुदायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना भी है। तथापि लद्दाख की संवेदनशील सीमावर्ती स्थिति के कारण यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय संघवाद तथा केंद्र-क्षेत्रीय संबंधों से भी जुड़ जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र में छठी अनुसूची की मांग की ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि, उसके प्रमुख कारणों तथा संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए स्थानीय स्वायत्तता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता के मध्य संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

शोध प्रश्न –

1. लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग के प्रमुख कारण क्या हैं?
2. केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के स्थानीय समुदायों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक आकांक्षाओं में क्या परिवर्तन आया है?
3. छठी अनुसूची लद्दाख की भूमि, संस्कृति, पर्यावरण एवं जनजातीय पहचान की सुरक्षा में किस प्रकार सहायक हो सकती है?
4. लद्दाख को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है?

लद्दाख की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं जनजातीय संरचना.

लद्दाख भारत के हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियों के साथ-साथ इसकी सामाजिक संरचना भी इसे देश के अन्य क्षेत्रों से अलग पहचान प्रदान करती है। यहां का समाज विभिन्न धार्मिक, भाषाई एवं जनजातीय समुदायों से मिलकर बना है। लद्दाख की सामाजिक संरचना में लेह तथा कारगिल क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं दिखाई देती हैं। यहां के स्थानीय समुदायों का जीवन लंबे समय से पर्वतीय पर्यावरण, सीमित प्राकृतिक संसाधनों तथा स्थानीय परंपराओं के साथ गहरे रूप से जुड़ा रहा है। इसी कारण भूमि, जल, चरागाह, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण का संरक्षण केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि स्थानीय समाज की जीवन-पद्धति और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। लद्दाख के स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान उनकी पारंपरिक जीवन-शैली, रीति-रिवाजों, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं तथा स्थानीय ज्ञान-व्यवस्था में दिखाई देती है

"लद्दाख की सामाजिक संरचना में लेह तथा कारगिल क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं दिखाई देती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तत्कालीन लेह जिले में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 95,857 थी, जो जिले की कुल आबादी का लगभग 71.81 प्रतिशत थी। {{1}}

कठोर भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण यहां के समुदायों ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के लिए लंबे समय में अनेक स्थानीय परंपराएं विकसित की हैं। इसलिए विकास की ऐसी प्रक्रिया, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी सीमित हो अथवा भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना लिए जाएं, उनके बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान एवं जीवन-पद्धति के संबंध में चिंता उत्पन्न कर सकती है।लद्दाख की जनजातीय संरचना इस प्रश्न को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। "जनजातीय समुदायों के लिए भूमि केवल संपत्ति का साधन नहीं होती, बल्कि वह उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का आधार भी होती है। लद्दाख के संदर्भ में भूमि, जल, चरागाह एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन स्थानीय समुदायों की आजीविका तथा पारंपरिक जीवन-पद्धति से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन

संसाधनों के उपयोग और संरक्षण से संबंधित निर्णयों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाहरी हस्तक्षेप, अनियोजित विकास एवं पर्यटन के विस्तार से भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को स्थानीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ते हैं"{{2}}

वर्ष 2019 में केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होने के बाद लद्दाख में स्थानीय राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि क्षेत्र के विकास से संबंधित नीतियों एवं प्रशासनिक निर्णयों में स्थानीय लोगों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आपके लेख में भी यह उल्लेख है कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद स्थानीय समुदायों के बीच भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित चिंताएं अधिक प्रमुखता से सामने आईं और इसी पृष्ठभूमि में छठी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा की मांग ने व्यापक रूप ग्रहण किया। इस प्रकार लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को केवल प्रशासनिक अधिकारों के विस्तार की मांग के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण तथा निर्णय-निर्माण में जनभागीदारी जैसे व्यापक प्रश्न जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग को समझने के लिए वहां की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं जनजातीय संरचना को समझना आवश्यक है। यह संरचना इस बात को स्पष्ट करती है कि स्थानीय स्वायत्तता की मांग केवल राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समाज की पहचान और उसके पारंपरिक जीवन के संरक्षण से भी जुड़ी हुई है।

लद्दाख की प्रशासनिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि-

भारतीय संविधान ने संघवाद व्यवस्था को अपनाया जो अत्यंत जटिल राजनीतिक संरचना हैं। जिसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता के मध्य निरंतर असंतुलन बना रहता है जैसे की आय जानते हैं कि लद्दाख भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील, तथा सांस्कृतिक रूप से जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। जनजातियाँ अपनी संस्कृति की सुरक्षा हेतु याता पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही या तो संविधान के छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष स्वतंत्रता की मांग कर रहे ताकि वे अपने क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनी संस्कृति के अनुसार सुनिश्चित कर सकें। वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश में सीमित विधायी अधिकार होने के कारण स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में जनता की भागीदारी कम मानी जाती है इसीलिए लद्दाख की क्षेत्रीय जनजातियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान देते हुए सरकार से छठी अनुसूची की मांग की।लद्दाख छठी अनुसूची की मांग की यदि पृष्ठभूमि देखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार है - राजा हरि सिंह द्वारा भारत विलय पर हस्ताक्षर में पश्चात 1947 में लद्दाख भारत मे विलय होने के पश्चात जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बना लद्दाख लगभग 70 साल जम्मू-कश्मीर कश्मीर राज्य का हिस्सा रहा। 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर दोनो को अलग-अलग दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

- **जम्मू और जम्मू कश्मीर (विधानसभा सहित)**
- **लद्दाख (बिना विधानसभा)**

31 Oct 2019 से लद्दाख एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्योकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना इसलिए वहां राष्ट्रपति के प्रतिनिधि उपराज्यपाल को बनाया गया। भारत में संघवाद व्यवस्था को देखा जाए तो उसमें राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अधिक विधायी और कार्यकारी स्वायत्ता प्राप्त होती है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती है।''{(3)}

इस प्रकार जब लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बना तब वहां का शासन हो गया जिसमें वहां की स्थानीय जाति एवं जनजातीय का प्रतिनिधित्व सीमित हो गया क्योकि लद्दाख एक जनजातीय बहुल क्षेत्र माना जाता है अतः वहां की जनजातियों ने अनुभव किया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व सीमित होने के कारण उसकी संस्कृति पर अधिक प्रभाव पर पड़ा या उनकी संस्कृति नष्ट कर दी जाएगी इसी भय के कारण यही से स्वायत्ता एवं संवैधानिक सुरक्षा की मांग उठी। "लद्दाख को 2019 में बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद स्थानीय निकायों और

जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सीमित हो गयी इससे राजनीतिक स्वायत्ता की कमी ने राज्यत्व और उठी अनुसूची जैसी संवैधानिक सुरक्षा की मांग को बल दिया"{(4)}

छठी अनुसूची का संवैधानिक स्वरूप एवं लद्दाख में इसकी प्रासंगिकता

भारतीय संविधान में जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, उनकी शासन-व्यवस्था तथा भूमि अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष संवैधानिक प्रयास किया गया ताकि ये भारतीय समाज में संतुष्ट रह सकें और अलगाव की मांग न करें। इन्ही प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए छठी अनुसूची का निर्माण किया गया जो मुख्यता: पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती हैं। छठी अनुसूची एक प्रकार संवैधानिक स्वायत्त शासन व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को सीमित विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया हैं। छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है-

- जिला स्तर पर कानून बनाने की शक्तियां
- अपने नियमानुसार प्रशासन चलाने का अधिकार
- परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार न्याय देने का अधिकार
- कर लगाने तथा राजस्व एकत्र करने का अधिकार
- भूमि एवं संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण।

लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग का उद्भव एवं राजनीतिक आंदोलन-

2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आयोग के तहत लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में लद्दाख के लगभग सभी नागरिक समाज मे इस बदलाव का स्वागत क्योकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं यह बदलाव उनको विकास की ओर ले जाएगी परंतु कहीं ना कहीं किन्ही कारणों से उन्होंने अनुभव किया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थानीय लोगों को भूमि, संसाधन और सांस्कृतिक पर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ रहा है इसी कारण लद्दाख के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने संविधान की Sixth Schedule of the constitution of India के तहत विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग उठानी शुरू की।यही नही लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग केवल एक राजनीतिक मुद्दा नही रहा गया बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। "इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से दो प्रमुख संगठनों Leh Apex body (LAB) और Kargil Democratic Alliance (KDA) द्वारा किया जा रहा है। जो स्थानीय लोगों की भूमि संस्कृति और जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के प्रावधान लागू करने की मांग कर रहे हैं।{(5)}

लद्दाख की प्रमुख राजनीतिक मांगें एवं भारत सरकार का दृष्टिकोण-

2023 के बाद के वर्गों में यह आंदोलन और अधिक संगठित और व्यापक रूप में सामने आया लद्दाख के नेताओं, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन धरना और रैलियों का आयोजन किया। इस प्रकार लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरी है। लद्दाख का यह आंदोलन भारत की संघीय व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाने का कार्य कर रहा।भले ही छठी अनुसूची की मांग अगस्त 2019 से चल रही परंतु अभी तक भारत सरकार की ओर से इस पर पूरी तरह से अंतिम निर्णय नही लिया गया है। इसके कई कारण जो उनके द्वारा कई अवसरों पर स्पष्ट किया गया कि लद्दाख मे पहले से ही ऐसे कई संगठन प्रचलित है जिनका मुख्य उद्देश्य वहां की स्थानीय संस्कृति, भूमि का संरक्षण करना है जिसमे से प्रमुख है Hill Development Council (लेह और करगिल)। और इसी संदर्भ में केंद्र सरकार का कहना है कि लद्दाख के विषय में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद लिया जाएगा। इसी मांग के तहत

भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में Leh Apex Body और Kargil Democratic Alliance के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख को रखा।

- **छठी अनुसूची की मांग**
- **राज्य का दर्जा देने की मांग**
- **अलग लोक सेवा आयोग बनाने की मांग**
- **संसद में प्रतिनिधित्व बनाने की मांग**

इस प्रकार भारत सरकार ने लद्दाख की विशेष परिस्थितियों को स्वीकर किया है और स्थानीय प्रतिनिधियों के संवाद जारी रखे हुए है परंतु छठी अनुसूची लागू करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया। "इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लद्दाख की सामरिक स्थिति और समवर्ती क्षेत्र होने के कारण वहा ँ की प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक के संदर्भ में देखना आवश्यक है। इस कारण सरकार तुरंत निर्णय लेने के बजाय संवाद और सहमति की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। {(4)}

लद्दाख में छठी अनुसूची लागू होने के संभावित प्रभाव- हालांकि यदि बात की जाए लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने के बाद की स्थिति की तो इसका प्रभाव केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रो पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी शामिल हैं।

सकारात्मक प्रभाव-

- छठी अनुसूची लागू करने से जिला परिषदों को अधिक अधिकार मिल सकता है इन अधिकारों का प्रयोग कर जिला परिषद अपनी संस्कृति भूमि तथा पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। इससे आधुनिक विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी।
- लद्दाख की अधिकांश आबादी जनजातीय समुदायों की है छठी अनुसूची के माध्यम से उन्हें प्रशासनिक में मांग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होगा जिससे वे अपनी प्रजातियों के हित में निर्णय ले पाएंगे।
- स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि और संसाधन के प्रबंधन से संबंधित अधिकार मिल जाते हैं जिससे बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण था संसाधनों के अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- लद्दाख एक नाजुक हिमालय का क्षेत्र माना जाता है वहाँ से बाहर दूर रहने वाले व्यक्ति तथा सरकार वहां की गंभीरता को नही समझ सकती अतः स्वायत्त जिला परिषदों की विकासवादी परियोजनाएं और पर्यटन गतिविधियों पर नियंत्रण रख वहां के पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है।
- यदि स्थानीय जनजातियों की मांग को पूरा किया जाए तब इससे राजनीति असंतोष खत्म होकर, सरकार के प्रति विश्वास की भावना जागृत होगी जो भारत के विकास के लिए आवश्यक है।

नकारात्मक प्रभाव

- छठी अनुसूची लागू करने से नई प्रशासनिक संरचनाएं बनेगीं। इससे केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन और स्वायात परिषदों के बीच अधिकारों के विभाजन में जटिलता देखने को मिल सकती है।
- कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि देश का कोई बड़ा विकास जो उस क्षेत्र से संबंधित हो और स्वयात्त जिलों की अनुमति न देने के कारण यह विकास रुक सकता जिससे देश की हानि हो सकती है।

- क्योंकि लद्दाख एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए प्रशासनिक अधिकारों के पुनर्वितरण से संबंधित किसी भी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखना आवश्यक है।
- छठी अनुसूची के बाद स्वायत्त परिषदों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता, संसाधन और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी ये न होने पर इसका प्रभाव भारत के शासन पर पड़ सकता है।

छठी अनुसूची की मांग: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

"Observer Research Foundation के एक विश्लेषण में बताया गया कि लद्दाख को Sixth Schedule of the constitution of India के अंतर्गत लाने से स्थानीय समुदायों को लाभ होगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक ढांचे विकास नीतियों और क्षेत्र की सामरिक स्थिति से जुड़े कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।"{(5)}

हालांकि एक और जहां लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग बढ़ रही वही दूसरी और कुछ नीति विशेषज्ञ का माना है कि लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने से स्थानीय स्वायत्ता को बढ़ावा मिल सकता है और इसके साथ प्रशासनिक ढांचे, विकास परियोजनाएं और क्षेत्र की सामरिक स्थिति से जुड़ी चुनौतियों भी उत्पन्न हो सकती है।"{(6)}

लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को केवल एक संवैधानिक प्रावधान को लागू किए जाने की मांग के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय राजनीतिक भागीदारी, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा विकास की दिशा में स्थानीय समुदायों की भूमिका जैसे अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मांग का मूल्यांकन करते समय स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में इसकी रणनीतिक महत्ता तथा यहां की विशिष्ट जनजातीय-सांस्कृतिक संरचना इसे भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण यहां स्वायत्तता का प्रश्न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और राष्ट्रीय एकीकरण से भी जुड़ जाता है।

- **स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन-** लद्दाख के संदर्भ में स्थानीय स्वायत्तता की मांग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि स्थानीय समुदाय अपने क्षेत्र के प्रशासन और विकास से संबंधित निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका चाहते हैं। लोकतांत्रिक शासन की दृष्टि से यह अपेक्षा स्वाभाविक है, क्योंकि जिन लोगों का प्रत्यक्ष संबंध भूमि, संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों से होता है, उनकी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी शासन को अधिक उत्तरदायी और सहभागी बना सकती है। छठी अनुसूची जैसी व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं को अधिकार देकर इस भागीदारी को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर सकती है। किन्तु लद्दाख की सीमा-संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण यहां स्थानीय स्वायत्तता का स्वरूप अन्य सामान्य जनजातीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सावधानी से निर्धारित किया जाना आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क, संचार, रक्षा प्रतिष्ठान, सीमा अवसंरचना तथा अन्य रणनीतिक परियोजनाएं केवल स्थानीय विकास से संबंधित विषय नहीं होतीं, बल्कि उनका संबंध देश की संप्रभुता और सुरक्षा से भी होता है। इसलिए ऐसी कोई भी स्वायत्त व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार की संवैधानिक एवं प्रशासनिक भूमिका को कमजोर करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्थानीय समुदायों की राजनीतिक आकांक्षाओं और अधिकारों को सीमित कर दिया जाए। वास्तविक समाधान ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने में है जिसमें स्थानीय लोगों को भूमि, संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय विकास से संबंधित पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों, जबकि रक्षा, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय रणनीतिक हितों से संबंधित विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बने रहें। इस प्रकार स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक-दूसरे के विरोधी न मानकर परस्पर पूरक बनाया जा सकता है।

- **विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन-** लद्दाख में विकास का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन, सड़क निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, संचार तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तार क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। स्थानीय आबादी के लिए रोजगार और बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता भी विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन लद्दाख की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक संवेदनशीलता के कारण सामान्य विकास मॉडल को वहां उसी रूप में लागू करना उचित नहीं माना जा सकता। अत्यधिक और अनियोजित पर्यटन, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, जल की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसी परिस्थितियां क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए लद्दाख के विकास का मॉडल स्थानीय पर्यावरण, पारंपरिक जीवन-पद्धति और प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। विकास का उद्देश्य केवल भौतिक अवसंरचना का विस्तार नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार होना चाहिए। इस संदर्भ में स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। यदि स्थानीय समुदायों को भूमि उपयोग, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संसाधनों के संबंध में पर्याप्त निर्णयकारी भूमिका मिलती है, तो विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। इससे विकास और संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाओं के पास पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, अन्यथा अधिकारों का हस्तांतरण व्यवहार में प्रभावी नहीं हो पाएगा।
 - **क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन -**लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी क्षेत्र के लोग जब अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, भूमि और सामाजिक पहचान की सुरक्षा के लिए अधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारों की मांग करते हैं, तो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति या अलगाववाद के रूप में देखना उचित नहीं है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति और समाधान का अवसर देना राष्ट्रीय एकता को अधिक मजबूत कर सकता है। वास्तव में राष्ट्रीय एकता का अर्थ केवल प्रशासनिक एकरूपता नहीं है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में राष्ट्रीय एकता विभिन्न क्षेत्रीय, भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचानों को संवैधानिक ढांचे के भीतर सम्मान प्रदान करने से मजबूत होती है। यदि स्थानीय समुदायों को यह विश्वास हो कि उनकी पहचान और हितों की रक्षा लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से संभव है, तो उनका राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो सकता है। हालांकि क्षेत्रीय स्वायत्तता की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जो व्यापक राष्ट्रीय हितों से टकराव उत्पन्न करे। स्वायत्तता का उद्देश्य भारतीय संघ से अलग राजनीतिक पहचान स्थापित करना नहीं, बल्कि संघीय व्यवस्था के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन को अधिक सहभागी और उत्तरदायी बनाना होना चाहिए। इस दृष्टि से लद्दाख की मांग का समाधान भारतीय संघवाद की भावना के अनुरूप ऐसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए जो स्थानीय पहचान को संरक्षण देते हुए राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ करे।
 - इस प्रकार लद्दाख के संदर्भ में वास्तविक चुनौती यह तय करने की नहीं है कि स्थानीय स्वायत्तता या राष्ट्रीय सुरक्षा में से किसे प्राथमिकता दी जाए, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की है जिसमें दोनों उद्देश्यों का संतुलित समन्वय हो। इसी प्रकार विकास और पर्यावरण संरक्षण तथा क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय एकता को भी परस्पर विरोधी ध्रुवों के रूप में देखने के बजाय एक संतुलित संवैधानिक नीति के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। लद्दाख की परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था की सफलता केवल उसके कानूनी प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके क्रियान्वयन की संस्थागत क्षमता, वित्तीय संसाधनों, स्थानीय भागीदारी और केंद्र तथा स्थानीय संस्थाओं के बीच स्पष्ट कार्य-विभाजन पर भी निर्भर करती है। इसलिए छठी अनुसूची लागू करने अथवा किसी वैकल्पिक संवैधानिक

व्यवस्था पर विचार करते समय व्यापक परामर्श, स्थानीय प्रतिनिधित्व और क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक एवं रणनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष - अतः लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को भारतीय संघवाद की उस व्यापक प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं और स्थानीय आकांक्षाओं को संवैधानिक स्थान प्रदान किया जाता है। यदि स्थानीय स्वायत्तता, पर्यावरणीय संरक्षण, समावेशी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलित संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाती है, तो यह न केवल लद्दाख में लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत कर सकती है, बल्कि भारतीय संघवाद की बहुलतावादी और समावेशी प्रकृति को भी सुदृढ़ कर सकती है।

संदर्भ :

1. Government of India, Office of the Registrar General & Census Commissioner, District Census Handbook: Leh, Census of India 2011, Data on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
2. Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Scheduled Tribes in India as revealed in Census 2011, Government of India.
3. Indian Polity (6th Revised Edition, 2023), M. Laxmikanth, New Delhi: McGraw Hill Education, Total Pages: 41–44.
4. Dristi IAS (2025), "Ladakh's demand for Statehood & Sixth Schedule inclusion," Daily News Editorial.
5. The Indian Express (2023, Feb. 2): "Ladakh groups unite under Leh Apex Body and Kargil Democratic Alliance to demand Sixth Schedule safeguards.
6. The Hindu (2024, March 19): "Centre holds talks with Ladakh leaders over demand for Sixth Schedule safeguards."
7. Observer Research Foundation (2021), "Ladakh after Article 370: Autonomy and the Demand for Sixth Schedule Safeguards," New Delhi.
8. BBC News (2024): "Why people in Ladakh are demanding constitutional safeguards under the Sixth Schedule

Cite this Article:

शुक्ला, शुभी,(2026). लद्दाख की स्वतंत्रता एवं केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के पश्चात् छठी अनुसूची की मांग, The Academic Matrix International Journal, ISSN:3140-0523 (Online), Volume 01, Issue 02,Pp.26-33, September-2026. Journal URL: https://academicmatrix.com/, DOI: https://doi.org/10.68677/amij.v1i2.05

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer: The views, opinions, interpretations, analyses, conclusions, recommendations, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) bear full responsibility for the originality, accuracy, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring compliance with applicable academic and ethical standards, including those relating to plagiarism, AI-generated or AI-assisted content, copyright infringement, data fabrication or falsification, and other forms of research or academic misconduct.